दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

सुरक्षित: 22 फ़रवरी, 2024
उद्घोषित: 18 मार्च, 2024

<u>सि.वा. (मू.प.) 76/2010, सि.अव.या. (मू.) 95/2011, सि.अव.या. (मू.) 125/2011, अं.आ. 7907/2012, अं.आ. 18365/2013, अं.आ. 7910-7911/2019, अं.आ. 12991/2019, अं.आ. 9709/2021, अं.आ. 11863/2021, अं.आ. 12631/2021, अं.आ. 13369/2022, अं.आ. 22135/2022, अं.आ. 15187/2023, अं.आ. 15910/2023</u>

कोहली वन हाउसिंग एंड डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड ..... वादी

द्वारा: श्री अमित सिब्बल, वरिष्ठ अधिवक्ता सह श्री शौनिक कश्यप, श्री बालासुब्रमण्यम आर. अय्यर, सुश्री पारुल तुली और सुश्री मुस्कान यादव, अधिवक्तागण

बनाम

सी. एस. अग्रवाल और अन्य .....प्रतिवादीगण

द्वारा: श्री गोरंग गुप्ता और श्री सफीउल्ला शाह, प्रति-1 और 3 के अधिवक्ता।
सुश्री शंभानी कला, प्रति-2 (क), (ख) और (घ) की अधिवक्ता।
श्री टी. के. गंजू, वरिष्ठ अधिवक्ता सह श्री रोहित गांधी, श्री हरगुन सिंह कालिया, सुश्री अक्षिता निगम और श्री महेश्वर सिंह सलारिया, प्रति-4 से

7, प्रति-9, 10, 11 और 13 के लिए अधिवक्तागण।

श्री मोहित गुप्ता, सुश्री आयुषी जैन और सुश्री सीमाब अली फातिमा, प्रस्तावित प्रति-14, 15, 17, 18 और 20 के अधिवक्तागण।

श्री वरुण निश्चल और श्री शुभम शर्मा, प्रस्तावित प्रति-16 और 19 के अधिवक्तागण।

श्री विकास धवन, वरिष्ठ अधिवक्ता सह श्री भरत गुप्ता, श्री वरुण त्यागी और श्री वंश शर्मा, प्रति-21 के अधिवक्तागण।

श्री विजय नायर और श्री अर्पित द्विवेदी, प्रति-22 से 25 के अधिवक्तागण।

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति सुश्री नीना बंसल कृष्णा

<u>निर्णय</u>

<u>न्या. नीना बंसल कृष्णा</u>

<u>अं.आ. सं. 2737/2014 (सि.प्र.सं. की धारा 151 के साथ पठित आदेश VI नियम 17 के अंतर्गत वादपत्र में संशोधन की माँग करने के लिए):</u>

1. वर्तमान आवेदन, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (इसके पश्चात् 'सि.प्र.सं.' के रूप में संदर्भित) की धारा 151 के साथ पठित आदेश VI नियम 17 के

अंतर्गत वादी की ओर से याचिका में संशोधन की माँग करते हुए दायर किया गया है।

2. **आवेदन में यह प्रस्तुत किया गया है** कि वर्तमान वाद 77,57,00,562/- रुपये (केवल सत्तर करोड़ सत्तावन लाख पाँच सौ बासठ रुपये) बकाया ब्याज सहित वसूली के लिए वादी की ओर से दायर किया गया है।

3. यह स्वीकार किया गया मामला है कि वादी कंपनी मैसर्स कोहली वन हाउसिंग एंड डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने प्रतिवादी सं. 3, मैसर्स रॉकमैन प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को 43,00,00,000/- रुपये (केवल तैंतालीस करोड़ रुपये) का भुगतान किया था, क्योंकि उन्होंने 18.06.2007 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें एक विशिष्ट संपत्ति अर्थात उक्त भूमि पर एक विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईज़ेड) विकसित करने का प्रावधान था। समझौता ज्ञापन के अनुसार, एक कंपनी के रूप में एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) शुरू किया जाना था और प्रतिवादी सं. 3 को सबसे पहले गुड़गांव में 250 एकड़ भूमि को सभी बाधाओं से मुक्त करके एसपीवी को अंतरित करना था और फिर एसपीवी को भारत के वाणिज्य मंत्रालय से बहु-सेवा एसईज़ेड के लिए अंतिम अधिसूचना प्राप्त करनी थी। शेष राशि वादी को भूमि को एसईज़ेड के रूप में अधिसूचित करने के 12 व्यावसायिक दिनों के भीतर तथा वादी कंपनी के नाम पर एसपीवी में 74% शेयरों के अंतरण पर देय थी। एमओयू में प्रतिवादी सं. 1, अर्थात् श्री

सी.एस. अग्रवाल द्वारा हस्ताक्षरित भूमि मानचित्र शामिल था, जिसमें उक्त भूमि का विवरण दिया गया था।

4. निस्संदेह, प्रतिवादी सं. 2 श्री डी.के. जैन, प्रतिवादी सं. 3 कंपनी के निदेशक हैं और उनके तथा उनके परिवार के सदस्यों के पास प्रतिवादी सं. 3 में 50% शेयर हैं। प्रतिवादी सं. 2 ने प्रतिवादी सं. 3 कंपनी की ओर से प्रस्ताव को क्रियान्वित किया, जिसमें प्रतिवादी सं. 1 को सभी एस.ई.जेड. मुद्दों से निपटने के लिए प्राधिकृत किया गया।

5. वादी ने प्राख्यान दिया है कि प्रतिवादी सं. 2, श्री डी.के. जैन ने अपनी निकटतम कंपनियों और सहयोगियों, अर्थात् प्रतिवादी सं. 4 से 13 के माध्यम से उक्त भूमि का स्वामित्व और नियंत्रण किया था और प्रतिवादी सं. 1, श्री सी.एस. अग्रवाल को उक्त भूमि के संबंध में वादी से लेनदेन करने के लिए प्राधिकृत किया था। प्रतिवादी सं. 2 की बोली पर प्रतिवादी सं. 3 से प्रतिवादी सं. 4 (जो अन्य प्रतिवादीगण की मूल/नियंत्रक कंपनी भी है) को धन का अंतरण हुआ।

6. वर्तमान वाद दायर करने पर, 25.01.2010 के आदेश के अनुसार भूमि के संबंध में यथापूर्व स्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया गया था। यह प्राख्यान दिया गया है कि विवाद की नींव नामित भूमि में निहित है और यथापूर्व स्थिति का आदेश अभी भी लागू है। वादी ने प्राख्यान दिया कि प्रतिवादी सं. 2, श्री डी.के. जैन, अपने लिखित बयान में आगे नहीं आए हैं और पुलिस/दांडिक

शिकायतों सहित विभिन्न अन्य कार्यवाहियों में विरोधाभासी बयान दे रहे हैं, जिनकी प्रतियाँ अभिलेख में दर्ज की गई हैं।

7. वादी अपने वादपत्र में उन तथ्यों को शामिल करने के लिए संशोधन करना चाहता है, जो बाद में पक्षकारगण के बीच शुरू हुए अन्य मुकदमों से उसके संज्ञान में आए हैं।

8. वादी यह दावा करने के लिए **पैराग्राफ 3ए** जोड़ना चाहता है कि प्रतिवादी सं. 2, श्री डी.के. जैन और उनके परिवार के सदस्य प्रतिवादी सं. 4, मैसर्स राजधानी नर्सरीज़ लिमिटेड के निदेशक और बहुसंख्यक शेयरधारक हैं, जो विभिन्न अन्य प्रतिवादीगण जैसे निम्नलिखित कंपनियों की नियंत्रक/मूल कंपनी है: -

(क) मैसर्स सुपर प्रॉम्प्ट होल्डिंग लिमिटेड

(प्रतिवादी संख्या 10)

(ख) मैसर्स सुपरक्विक होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड

(प्रतिवादी संख्या 5)

(ग) मैसर्स अर्जेंट होल्डिंग्स लिमिटेड

(प्रतिवादी संख्या 7)

(घ) मैसर्स मानसून फ़ाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड

(प्रतिवादी संख्या 6)

9. अन्य प्रतिवादीगण अर्थात् मैसर्स जर्मन गार्डन्स लिमिटेड (प्रतिवादी सं. 8), मैसर्स टॉवर लीज़िंग एंड फ़ाइनेंस लिमिटेड (प्रतिवादी सं. 9) और मैसर्स राजधानी सिक्योरिटीज़ लिमिटेड (प्रतिवादी सं. 11) प्रतिवादी सं. 2, श्री डी.के. जैन की पारिवारिक कंपनियाँ हैं। समान निदेशक, समान शेयरधारिता पैटर्न और पारिवारिक स्वामित्व का सामान्य सूत्र सभी प्रतिवादी कंपनियों अर्थात 4 से 11 के माध्यम से चलता है और प्रतिवादी संख्या 2, श्री डी.के. जैन सभी कंपनियों का प्रमुख है और इस तरह से उनका प्रतिनिधित्व कर रहा है। इसके अतिरिक्त, उसने स्टेशन हाउस ऑफ़िस, पुलिस थाना बिलासपुर, हरियाणा में अपनी दांडिक शिकायत में बयान दिया है कि उसकी लगभग 175 एकड़ और 66 किलोमीटर वाला मील का पत्थर, गाँव सिघरवाली की पूरी भूमि उसकी अलग-अलग आठ कंपनियों के नाम पर है।

10. अपनी दूसरी दांडिक शिकायत में, प्रतिवादी सं. 2, श्री डी.के. जैन ने विशेष रूप से बयान दिया है कि वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर राजधानी नर्सरीज़ लिमिटेड, जर्मन गार्डन्स लिमिटेड, सुपर क्विक होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, सुपर प्रॉम्प्ट होल्डिंग्स लिमिटेड, अर्जेंट होल्डिंग्स लिमिटेड, टॉवर लीज़िंग एंड फ़ाइनेंस लिमिटेड, मॉनसून फ़ाइनेंस लिमिटेड और राजधानी सिक्योरिटीज़ लिमिटेड नामक कंपनियों के नाम पर व्यवसाय चला रहे हैं, जिनका कार्यालय बी-30, लॉरेंस रोड, दिल्ली-110035 में है। उसने आगे बयान दिया है कि कंपनी का उद्देश्य आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक इमारतों के

स्वामी, निर्माणकर्ता, विकासकर्ता, संप्रवर्तक आदि के रूप में व्यवसाय करना था और मुख्य लक्ष्य एसईज़ेड स्थापित करना था। श्री सी.एस. अग्रवाल ने सभी अनुमोदन लेने और सभी आवश्यक धनराशि खर्च करके एसईज़ेड की स्थापना करने की ज़िम्मेदारी ली थी। इसलिए, प्रतिवादी सं. 2 द्वारा योगदान केवल इतना था कि प्रासंगिक समय पर, आवश्यक अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के बाद एसईज़ेड के लिए आवश्यक भूमि का एक भाग देना था और उसके बाद, पूरे क्षेत्र को संयुक्त रूप से विकसित करना था।

11. वादी ने दावा किया है कि विबंध के सिद्धांत पर प्रतिवादी सं. 2 इस मामले में लिए गए अपने मत से पीछे नहीं हट सकता है। वह निर्माण संबंधी धोखाधड़ी का दोषी है क्योंकि उसने प्रतिवादी सं. 1 और अन्य समूह कंपनियों के साथ मिलकर मौनानुकूलता से वादी कंपनी को धोखा देने का प्रयास किया है। उसने अपनी पुलिस शिकायत में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि वह व्यक्तिगत रूप से सभी भूमि स्वामित्व वाली कंपनियों/इकाइयों अर्थात् प्रतिवादी सं. 4 से 13 को नियंत्रित करता है और स्वामी मालिक है और इस तरह वह भूमियों का स्वामी है। प्रतिवादी सं. 2 और उसकी कंपनियाँ और सहयोगी अर्थात् प्रतिवादी सं. 4 से 13 को अलग-अलग मंचों पर अलग मत रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती। वादी कंपनी के निदेशकों को यह आभास दिलाया गया कि प्रतिवादी सं. 2 भूमि स्वामियों का प्रतिनिधित्व करता है और उसने प्रतिवादी सं. 1 को उनकी ओर से कार्रवाई करने के लिए प्राधिकृत किया है।

12. वादी आगे **पैराग्राफ 18क** जोड़ना चाहता है, जिसमें बयान दिया गया है कि श्री डी.के. जैन ने एसईज़ेड के विकास में सकारात्मक और प्रत्यक्ष कदम उठाए थे, जिसका आशय निम्नलिखित तरीके से एमओयू निष्पादित करना था:-

> *18क. श्री डी.के. जैन ने एसईज़ेड (विशेष आर्थिक क्षेत्र) के विकास में सकारात्मक और प्रत्यक्ष कदम उठाए थे, जिसका आशय निम्नलिखित तरीके से समझौता ज्ञापन निष्पादित करना था:*
>
> *(क) डी.के. जैन, प्रतिवादी सं. 2 ने प्रतिवादी सं. 4-11 सहित विभिन्न कंपनियों से बोर्ड के प्रस्ताव आयोजित किए थे, जैसे:*
>
> *(1) अमर पोर्टिफ़ोलियो प्राइवेट लिमिटेड*
> *(2) सुपर फ़ास्ट होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड*
> *(3) सुपर क्विक होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड (प्रतिवादी सं. 5)*
> *(4) राजधानी सिक्योरिटीज़ लिमिटेड (प्रतिवादी सं. 11)*
> *(5) सुपर प्रॉम्प्ट होल्डिंग्स लिमिटेड (प्रतिवादी सं. 10)*
> *(6) अर्जेंट होल्डिंग लिमिटेड (प्रतिवादी सं. 7)*
> *(7) जर्मन गार्डन लिमिटेड (प्रतिवादी सं. 8)*
> *(8) सुपर फ़ास्ट होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड*
> *(9) टावर लीज़िंग एंड फ़ाइनेंस लिमिटेड (प्रतिवादी सं. 9)*
> *(10) मानसून फ़ाइनेंस लिमिटेड (प्रतिवादी सं. 6)*
> *(11) राजधानी नर्सरीज़ लिमिटेड (प्रतिवादी सं. 4)*
>
> *उसके पक्ष में निर्णय देते हुए उसे उक्त भूमि से संबंधित लेन-देन के लिए पूर्णतः प्राधिकृत किया गया।*
>
> *(ख) डी.के. जैन, प्रतिवादी सं. 2 ने पहले प्रतिवादी 4-13 की ओर से दिनांक 04.05.2006 को एक पट्टा अनुबंध किया, फिर*

प्रतिवादी 4-13 की ओर से दिनांक 30.11.2006 को एक 99 वर्षीय पट्टा अनुबंध किया और फिर प्रतिवादी 4-13 की ओर से प्रतिवादी संख्या 1 और 3 के साथ उक्त संपत्तियों के संबंध में दिनांक 05.02.2007 को एक विक्रय अनुबंध भी किया। ये अनुबंध पक्षकारगण के बीच बाध्यकारी हैं। इन अनुबंधों के कारण प्रतिवादी सं. 1 और 3 अन्य प्रतिवादीगण की ओर से भूमि पर कार्य करने और उसका लेनदेन करने के पूरी तरह से हकदार हैं।

(ग) प्रतिवादी सं. 2 - डी.के. जैन ने उसी एसईज़ेड भूमि के विकास के लिए मैसर्स जुरोंग ऑफ़ सिंगापुर के साथ परामर्श अनुबंध किया था जो समझौता ज्ञापन का विषय है। स्वाभाविक रूप से यह अनुबंध उस भूमि के लिए था जिसे एसपीवी (विशेष प्रयोजन वाहन) को अंतरित किया जाना था जिसके लिए वादी ने अग्रिम राशि दी थी। यह विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत किया गया है कि यदि प्रतिवादी सं. 2 के मन में वादी के साथ अनुबंध करने का विचार नहीं होता तो प्रतिवादी सं. 2 के लिए एसईज़ेड भूमि के रूप में विकास के लिए अनुबंध करने का कोई अवसर नहीं होता। ये सभी दस्तावेज़ वादी कंपनी को विश्वास दिलाने और उससे अग्रिम राशि प्राप्त करने के लिए दिखाए गए थे।

(घ) भूमि को विशेष आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तित करने के लिए प्रतिवादी सं. 3 द्वारा वाणिज्य मंत्रालय को एक आवेदन दिया गया था, जिसमें प्रतिवादी सं. 4-13 के बीच प्रतिवादी सं. 3 के साथ उक्त भूमि के उपर्युक्त पट्टे को स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध/उल्लिखित किया गया है और यह तथ्य भी है कि वाणिज्य मंत्रालय ने उसी आवेदन के संदर्भ में प्रतिवादी सं. 2, डी.के. जैन (प्रतिवादी सं. 4-13 का प्राधिकृत प्रतिनिधि) के साथ

पत्राचार किया है। उपरोक्त स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि प्रतिवादी सं. 2 न केवल स्वयं बल्कि अपनी निकटतम कंपनियों/संस्थाओं, प्रतिवादी सं. 4-13 के माध्यम से भी इसमें गहनता से शामिल था, जहाँ वह और उसके परिवार के सदस्य बहुसंख्यक शेयरधारक/निदेशक थे। प्रतिवादी सं. 2 और भूमि धारक कम्पनियों/इकाइयों प्रतिवादी सं. 4 से 13 की सक्रिय भागीदारी के बिना एसईज़ेड अधिसूचना के लिए आवेदन संभव नहीं था। वादी को संबंधित विभागों से प्रासंगिक चरण पर प्रासंगिक फ़ाइलें समन करने का अधिकार है। इस प्रकार, प्रतिवादी सं. 2 ने अपने आचरण से वादी को यह आभास कराया कि वह लेनदेन में सक्रिय रूप से शामिल है और उसकी निजी कम्पनियाँ/इकाइयाँ भी लेनदेन में शामिल हैं।

(ङ) प्रतिवादी सं. 3 की ओर से प्रतिवादी सं. 1 के पक्ष में बोर्ड के प्रस्ताव को निष्पादित करके प्रतिवादी सं. 1 को उक्त संपत्तियों के संबंध में वादी के साथ अनुबंध करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

13. वादी आगे **पैराग्राफ 20क** जोड़ना चाहता है और यह बयान देना चाहता है कि वादी को पता चला है कि प्रतिवादी सं. 3 कंपनी ने प्रतिवादी सं. 4 और राजधानी गार्डन लिमिटेड, प्रतिवादी सं. 2 की एक अन्य सहयोगी कंपनी और उसमें उल्लिखित अन्य कंपनियों को विभिन्न भुगतान किए हैं।

14. यह दावा किया गया है कि प्रतिवादी सं. 2 ही निधियों का मुख्य लाभार्थी है, क्योंकि प्रतिवादी सं. 4 उसकी कंपनी है और अन्य प्रतिवादी कंपनियाँ भी प्रतिवादी सं. 4 के स्वामित्व वाली सहायक कंपनियाँ हैं। यह अभिवाक् दिया

गया है कि कॉर्पोरेट आवरण हटने से प्रतिवादी सं. 2 और उसके निकटतम परिवार के सदस्यों के चेहरे के पर्दे के पीछे के असली व्यक्ति के रूप में सामने आ जाएँगे।

15. इसी तरह, प्रतिवादी सं. 2 और प्रतिवादी सं. 4 और अन्य कंपनियाँ जो प्रतिवादी संख्या 5 से 11 हैं, जो प्रतिवादी संख्या 4 की सहायक कंपनियाँ हैं, के बीच संबंध को और स्पष्ट करने के लिए **पैराग्राफ 20ख** को वाद में शामिल करने की माँग की गई है। यह प्राख्यान किया गया है कि प्रतिवादी सं. 4 से 11 अब संविदात्मक संबंध नहीं होने का दावा नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने वादी कंपनी द्वारा अग्रिम रूप से दी गई बड़ी धनराशि का उपभोग किया है।

16. वादी उपरोक्त तथ्यों को और अधिक स्पष्ट करने के लिए **पैराग्राफ 20ग** भी जोड़ना चाहता है। वह यह भी प्राख्यान करना चाहता है कि वादी का पैसा जानबूझकर और योजनाबद्ध तरीके से गबन कर लिया गया है, जिसे सभी प्रतिवादी अलग-अलग और संयुक्त रूप से वापस करने के लिए उत्तरदायी हैं।

17. सत्यापन खंड को तदनुसार संशोधित करने की माँग की गई है।

18. वादी ने प्रस्तुत किया है कि उपरोक्त संशोधन प्रासंगिक हैं और पहली बार में ही आवेदन किया गया है। आवेदन में *पैराग्राफ 3क, 18क, 20क, 20ख और 20ग तथा सत्यापन खंड* को जोड़ने की अनुमति दी जाएगी।

19. अपने प्राख्यानों के समर्थन में, वादी ने *अनीता कुमारी गुप्ता बनाम वेद भूषण,* (2014) 143 डीआरजे 576; *हरि भगवान शर्मा एवं अन्य बनाम बद्री भगत झंडेवालान मंदिर सोसाइटी एवं अन्य,* (1985) 27 डीएलटी 68; *वसुधीर फ़ाउंडेशन बनाम सी लाल एवं अन्य,* (1991) 45 डीएलटी 556; *उषा देवी बनाम रिजवान अहमद एवं अन्य,* (2008) 3 एससीसी 717; *अनीता आनंद बनाम गार्गी कपूर एवं अन्य;* 2017 एससीसी ऑनलाइन दिल्ली 11794 और *हरिदास अलीदास थडानी एवं अन्य बनाम गोदरेज रुस्तम केरमानी,* (1984) 1 एससीसी 668 पर भरोसा करते हुए बयान दिया है कि सि.प्र.सं. के आदेश VI नियम 17 के अंतर्गत आवेदन पर पहली बार में निर्णय किया जाना है।

20. वादी ने *राजेश कुमार अग्रवाल बनाम के.के. मोदी,* (2006) 4 एससीसी 385; *महिला रामकली देवी बनाम नंदराम,* (2015) 13 एससीसी 132, *बिहार राज्य बनाम मॉडर्न टेंट हाउस,* (2017) 8 एससीसी 567 और *भारतीय जीवन बीमा निगम बनाम संजीव बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य* (2022) एससीसी ऑनलाइन एससी 1128 के मामले का संदर्भ देकर सि.प्र.सं. के आदेश VI नियम 17 को शासित करने वाले सामान्य सिद्धांतों पर इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित करने की माँग की है।

21. यह भी प्रस्तुत किया गया है कि व्यादेश का उल्लंघन कर संपत्ति का अंतरण कोई अंतरण नहीं है। इस संबंध में *वारीद जैकब बनाम सोसम्मा गीवर्गीस एवं अन्य,* (2004) 6 एससीसी 378; *दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम*

स्किपर कंस्ट्रक्शन कंपनी (प्राइवेट) लिमिटेड एवं अन्य, (1996) 4 एससीसी 622; *सत्यब्रत विश्वास बनाम कल्याण कुमार किस्कू,* (1994) 2 एससीसी 266; *सुरजीत सिंह बनाम हरबंस सिंह एवं अन्य,* (1995) 6 एससीसी 50; *सीताकांत काशीनाथ परब बनाम इसके एमडी (प्रबंध निदेशक) के माध्यम से गोवा हाउसिंग बोर्ड,* (2016) एससीसी ऑनलाइन बॉम्बे 3548 पर भरोसा किया गया है।

22. वादी ने कॉर्पोरेट आवरण हटाने के अपने अभिवाक् के समर्थन में *आर्सेलरमित्तल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम सतीश कुमार गुप्ता एवं अन्य,* (2019) 2 एससीसी 1; *वोडाफ़ोन इंटरनेशन होल्डिंग्स बीवी बनाम भारत संघ एवं अन्य,* (2012) 6 एससीसी 613; *बलवंत राय सलूजा एवं अन्य बनाम एयर इंडिया लिमिटेड एवं अन्य,* (2014) 9 एससीसी 407; *केशरीमल जिवजी शाह बनाम बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र,* (2004) 3 महाराष्ट्र एल.जे. 893; *शासकीय समापक बनाम पार्थसारथी सिन्हा एवं अन्य,* (1983) 1 एससीसी 538; *न्यू होराइजन लिमिटेड एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य,* (1995) 1 एससीसी 478; *सुभ्रा मुखर्जी एवं अन्य बनाम भारत कोकिंग कोल लिमिटेड एवं अन्य,* (2000) 3 एससीसी 312; *इरीडियम इंडिया टेलीकॉम लिमिटेड बनाम मोटोरोला इनकॉर्पोरेटेड एवं अन्य,* (2011) 1 एससीसी 74 और *टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड बनाम बिहार राज्य एवं अन्य,* 1964 एससीसी ऑनलाइन एससी 111 के मामले पर भरोसा किया है।

23. सेजल ग्लास लिमिटेड बनाम नवीलन मर्चेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, (2018) 11 एससीसी 780 और *माधव प्रसाद अग्रवाल एवं अन्य बनाम एक्सिस बैंक लिमिटेड एवं अन्य,* (2019) 7 एससीसी 158 के मामले का संदर्भ दिया गया है, जिसमें प्राख्यान किया गया है कि सि.प्र.सं. के आदेश VII नियम 11 के अंतर्गत वादपत्र को आंशिक रूप से खारिज नहीं किया जा सकता है।

24. **प्रतिवादीगण द्वारा आवेदन का विरोध किया गया है। प्रतिवादी सं. 4 से 13 ने अपने लिखित प्रस्तुतियों में** प्राख्यान किया है कि एमओयू केवल वादी और प्रतिवादी सं. 3 के बीच निष्पादित और हस्ताक्षरित किया गया था और ऐसा कोई अन्य व्यक्ति/संस्था नहीं है, जो उक्त एमओयू का पक्षकार या हस्ताक्षरकर्ता था। वादी द्वारा आरोप लगाया गया है कि सभी अभ्यावेदन और आश्वासन केवल प्रतिवादी सं. 1, श्री सी.एस. अग्रवाल द्वारा दिए गए थे।

25. वर्तमान वाद वादी द्वारा प्रतिवादी सं. 1 और 3 के साथ दुस्संधि और मौनानुकूलता में दायर किया गया है, और प्रतिवादी संख्या 4 से 13 को वाद में दोषपूर्ण ढंग से पक्षकार बनाया गया है क्योंकि उनका न तो कोई संविदात्मक संबंध है और न ही वे हस्ताक्षरकर्ता हैं। इसके अतिरिक्त, वादी द्वारा उन्हें कोई राशि नहीं दी गई है और वाद में उनके विरुद्ध कोई वाद हेतुक भी प्रकट नहीं किया गया है। प्रतिवादी सं. 4 से 13 ने भी अपने नाम को हटाने/वाद को खारिज करने के लिए *सि.प्र.सं. के आदेश VII नियम 11 के अंतर्गत अं.आ. सं. 6063/2010* शीर्षक वाला आवेदन दायर किया है।

26. *सि.प्र.सं. आदेश VII नियम 11* के अंतर्गत आवेदन के जवाब में वादी ने संशोधन की माँग करने के बजाय, एक उत्तर दायर किया जिसमें उसने एक स्पष्ट मत अपनाया कि दायर किए गए वादपत्र में प्रतिवादी सं. 4 से 13 के विरुद्ध वाद हेतुक प्रकट किया गया है। आवेदन पर किए गए तर्क सुनने के बाद, न्यायालय ने 16.01.2014 के आदेश के अंतर्गत प्रतिवादी सं. 1, 2 और 4 से 13 के विरुद्ध वाद की संधार्यता के रूप में एक प्रारंभिक मुद्दा विरचित किया। आदेश का प्रासंगिक अंश निम्नानुसार है:-

> ***"सि.वा.(मू.प.) 76/2010, एल.ए. सं. 9817/2013, 6063/2013, 882/2010, 5357/2013, 599/2010 और 7907/2012***
>
> *1. पक्षकारगण के विद्वान अधिवक्तागण को सुनने के बाद, मेरा विचार है कि निम्नलिखित प्रारंभिक मुद्दों को विरचित करने की आवश्यकता है:*
>
> *i) क्या वादपत्र प्रतिवादी सं. 1, 2 और 4 से 13 के विरुद्ध संपूर्ण रूप से या उनमें से किसी एक के विरुद्ध खारिज किए जाने योग्य है?*
>
> *2. उपरोक्त मुद्दे को प्रारंभिक मुद्दे के रूप में माना जा रहा है।*
>
> *3. पक्षकारगण के विद्वान अधिवक्तागण को निर्देश दिया जाता है कि वे एक संक्षिप्त सारांश दाखिल करें जो तीन*

पृष्ठों से अधिक का न हो, जिसमें उनके द्वारा भरोसा किए गए निर्णयों की सूची हो।

4. 12.02.2014 पर सूचीबद्ध किया जाए।

5. अंतरिम आदेश जारी रहेगा।"

27. इसके बाद, वादी द्वारा कोई संशोधन आवेदन दायर नहीं किया गया, जिसने लगातार कहा कि वाद संधार्य है। हालाँकि, वाद की संधार्यता पर मुद्दे को विरचित करने के बाद, इसने वर्तमान आवेदन के माध्यम से संशोधन की माँग की है। वादी ने अब यह अभिवाक् देने के लिए पूरी तरह से विरोधाभासी मत अपनाया है कि सि.प्र.सं. के आदेश VII नियम 11 के अंतर्गत आवेदन पर विचार करने से पहले संशोधन पर सुनवाई की जानी चाहिए।

28. यह प्राख्यान किया गया है कि संशोधन के लिए आवेदन दुर्भावनापूर्ण और बेईमान आशय से पूरी तरह से विचार करने के बाद दायर किया गया है और यह संधार्य नहीं है, जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि मूल वादपत्र में, साथ ही संशोधन आवेदन में वादी ने स्वयं अभिवाक् दिया है कि उसे सभी दस्तावेज़ों के बारे में पता था और समझौता ज्ञापन में प्रवेश करते समय उसे सभी दस्तावेज़ दिखाए गए थे, जैसा कि वादपत्र के पैराग्राफ 7 और पैराग्राफ 12 में दर्शाया गया है। इन स्पष्ट प्रकथनों के बाद भी, अस्पष्ट और विरोधाभासी ढंग से यह बयान देकर संशोधन की माँग की जा रही है कि ये तथ्य उसके संज्ञान में बाद में आए हैं।

29. इसके अतिरिक्त, संशोधन के माध्यम से, वादी *मामले की प्रकृति को बदलने* और उसमें *की गई स्वीकारोक्ति को वापस लेने* की माँग कर रहा है। जबकि मूल वादपत्र में, वादी ने स्पष्ट रूप से अभिवाक् दिया था कि आश्वासन प्रतिवादी सं. 1, श्री सी.एस. अग्रवाल द्वारा दिए गए थे, संशोधन के माध्यम से यह आरोप लगाया गया है कि प्रतिवादी सं. 2, श्री डी.के. जैन ने अपने आचरण से अभ्यावेदन और आश्वासन दिए थे। यह स्थापित विधि है कि संशोधन के माध्यम से, पक्षकार को स्वीकारोक्ति को वापस लेने या वाद की प्रकृति को बदलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

30. अपने प्राख्यानों के समर्थन में, प्रतिवादीगण ने *रेवाजीतु बिल्डर एंड डेवलपर्स बनाम नारायण स्वामी एंड संस* (2009) 10 एससीसी 84; *पाटसीबाई एवं अन्य बनाम रतनलाल,* (1990) 2 एससीसी 42; *भारत भूषण मग्गन बनाम जोगिंदर लाल एवं अन्य,* 2012 एससीसी ऑनलाइन दिल्ली और *एसआईसीपीए इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम कपिल कुमार,* 2015 एससीसी ऑनलाइन दिल्ली पर भरोसा किया है।

31. **प्रस्तुतियाँ सुनी गईं और सारांश का परिशीलन किया गया।**

32. आवेदन के गुणागुण पर विचार करने से पहले, यह उल्लेख करना उचित है कि सि.प्र.सं. के आदेश VI नियम 17 के अंतर्गत आवेदन और सि.प्र.सं. के आदेश VII नियम 11 के अंतर्गत अं.आ. सं. 6063/2020 वाले आवेदन पर दिनांक 02.07.2014 के आदेश के अंतर्गत निर्णय लिया गया था। सि.प्र.सं. के

आदेश VII नियम 11 के अंतर्गत आवेदन की अनुमति दी गई थी और यह अभिनिर्धारित किया गया था कि प्रतिवादी सं. 4 से 13 के विरुद्ध वसूली के लिए वाद दायर करने के लिए वादी के पक्ष में कोई वाद हेतुक नहीं था क्योंकि इसका *कोई संविदात्मक संबंध नहीं* था। इसलिए, प्रतिवादी सं. 4 से 13 के विरुद्ध वाद खारिज कर दिया गया और सि.प्र.सं. के आदेश VII नियम 11 के अंतर्गत आवेदन की अनुमति दी गई। *जहाँ तक सि.प्र.सं. के आदेश VI नियम 17 के अंतर्गत आवेदन का संबंध है, उसे भी खारिज कर दिया गया।*

33. आ.प्र.अ. (मू.प.) 534/2014 और नि.प्र.अ. (मू.प.) 126/2014 दिनांक 02.07.2014 के इन दो आदेशों के विरुद्ध दायर किए गए थे, जिन्हें खंड पीठ ने दिनांक 11.02.2019 के आदेश के माध्यम से पूरी तरह से अपास्त कर दिया था, जिसमें निर्देश दिया गया था कि सि.प्र.सं. के आदेश VI नियम 17 के अंतर्गत आवेदन पर पहले सुनवाई की जाएगी और उसके बाद, सि.प्र.सं. के आदेश VII नियम 11 के अंतर्गत आवेदन पर विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा सुनवाई की जाएगी। सि.प्र.सं. के आदेश VI नियम 17 के अंतर्गत संशोधन आवेदन और सि.प्र.सं. के आदेश VII नियम 11 के अंतर्गत आवेदन को नए सिरे से निर्णीत करने के लिए प्रतिपेषित किया गया है।

34. सि.प्र.सं. के आदेश VI नियम 17 के अंतर्गत आवेदन के गुणागुण पर विचार करने से पहले, अभिवचनों के संशोधन से संबंधित विधि को दोहराना प्रासंगिक होगा।

35. *गंगा बाई बनाम विजय कुमार* (1974) 2 एससीसी 393 के मामले में शीर्ष न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है कि संशोधन की अनुमति देने की शक्ति व्यापक है और न्यायालय द्वारा न्याय के हित में सीमाओं के बावजूद किसी भी स्तर पर इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसने आगे टिप्पणी की कि, *"लेकिन इस तरह की दूरगामी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग न्यायिक विचारों द्वारा नियंत्रित होता है और विवेक जितना व्यापक होगा, न्यायालय की ओर से उतनी ही अधिक सावधानी और सतर्कता होनी चाहिए।*

36. *राजेश कुमार अग्रवाल एवं अन्य* (पूर्वोक्त) के मामले में शीर्ष न्यायालय ने टिप्पणी की कि यह उपबंध कार्यवाही के किसी भी चरण में किसी भी पक्षकार द्वारा अपने अभिवचनों में ऐसे संशोधन का प्रावधान करता है, जो न्यायसंगत हो सकते हैं। विवाद में वास्तविक प्रश्न का निर्धारण करने के उद्देश्य से ऐसा संशोधन आवश्यक होना चाहिए। विवाद के वास्तविक प्रश्न को निर्धारित करने के प्रयोजन से ऐसा संशोधन आवश्यक होना चाहिए। हालाँकि, उपबंध के अनुसार, विचारण शुरू होने के बाद कोई संशोधन नहीं किया जाएगा, जब तक कि न्यायालय इस निष्कर्ष पर न पहुँच जाए कि उचित परिश्रम के बावजूद, पक्षकार विचारण शुरू होने से पहले उस मामले को नहीं उठा सका, जिसके लिए संशोधन की माँग की गई है। यह समझाया गया कि नियम का उद्देश्य यह है कि न्यायालयों को उनके समक्ष आने वाले मामले के गुणागुण

पर विचार करना चाहिए और पक्षकारगण के बीच विवादित वास्तविक प्रश्न के निर्धारण के लिए आवश्यक सभी संशोधनों को अनुमति देनी चाहिए, परंतु इससे दूसरे पक्ष के साथ अन्याय या उस पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

37. *महिला रामकली देवी और अन्य* (पूर्वोक्त) के मामले में शीर्ष न्यायालय ने टिप्पणी की कि प्रक्रिया के नियमों का आशय न्याय के प्रशासन के लिए सहायक होना है और किसी पक्ष द्वारा माँगी गई राहत को केवल किसी 'गलती, उपेक्षा, असावधानी या प्रक्रिया के नियमों के व्यतिक्रम' के कारण अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। संशोधन आवेदन को न्यायालय द्वारा तब तक स्वीकार किया जाना चाहिए, जब तक कि न्यायालय को यह संतुष्टि न हो कि संशोधन चाहने वाला पक्ष दुर्भावना से कार्य कर रहा था या उसकी गलती से विरोधी पक्ष को क्षति पहुँची है, जिसकी भरपाई जुर्माने के आदेश के माध्यम से नहीं की जा सकती।

38. *बिहार राज्य एवं अन्य* (पूर्वोक्त) के मामले में, यह विचार करते समय कि क्या अपीलार्थी की ओर से संशोधन के लिए आवेदन को निचले न्यायालयों द्वारा सही तरीके से खारिज कर दिया गया था, शीर्ष न्यायालय ने आवेदन का परिशीलन किया और पाया कि चूँकि *i) प्रस्तावित संशोधन तथ्यों पर आधारित है और लिखित बयान में मूल रूप से बताए गए तथ्यों का मात्र विस्तार माँगा गया है, ii) संशोधन पहले से किए गए बचाव के विस्तार की प्रकृति का है, iii) कोई नया बचाव पेश नहीं किया जा रहा है, iv) यदि अनुमति दी जाती है, तो*

इससे न तो पहले से किए गए बचाव में कोई बदलाव आएगा और न ही लिखित बयान में की गई किसी स्वीकारोक्ति को वापस लिया जाएगा, v) यदि माँगे गए संशोधन को अनुमति दी जाती है तो प्रत्यर्थीगण (वादीगण) पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा और vi) विचारण अभी समाप्त नहीं हुआ है, माँगे गए संशोधनों को अनुमति देना न्याय के हित में होगा।

39. *<u>भारतीय जीवन बीमा निगम</u>* (पूर्वोक्त) में शीर्ष न्यायालय के हाल के निर्णय का उल्लेख करना भी उचित होगा, जिसमें संशोधन के दायरे के पहलू पर पहले के निर्णयों पर विचार करने के बाद, सि.प्र.सं. के आदेश VI नियम 17 के अंतर्गत आवेदन की अनुमति देते समय विचार किए जाने वाले मौलिक सिद्धांतों को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया था, जो निम्नानुसार है :

> *" ....*
>
> *(ii) विवाद में वास्तविक प्रश्न निर्धारित करने के लिए आवश्यक सभी संशोधनों को अनुमति दी जानी चाहिए, परंतु इससे दूसरे पक्ष के साथ अन्याय या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। यह अनिवार्य है, जैसा कि सि.प्र.सं. के आदेश VI नियम 17 के बाद वाले भाग में "करेगा" शब्द के उपयोग से स्पष्ट है।*
> *(iii) संशोधन की प्रार्थना की अनुमति दी जानी चाहिए:*
>
> > *(i) यदि पक्षकारगण के बीच विवाद के प्रभावी और उचित निर्णय के लिए संशोधन आवश्यक है, और*
> > *(ii) कार्यवाहियों की बहुलता से बचने के लिए, परंतु*

(क) संशोधन के परिणामस्वरूप दूसरे पक्ष के साथ अन्याय न हो।

(ख) संशोधन के द्वारा, संशोधन चाहने वाले पक्षकारगण, पक्ष द्वारा की गई किसी भी स्पष्ट स्वीकृति को वापस लेने की माँग नहीं करते हैं जो दूसरे पक्ष को अधिकार प्रदान करती है और

(ग) संशोधन में समय बाधित दावा नहीं उठाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप दूसरे पक्ष को मूल्यवान अर्जित अधिकार से वंचित होना पड़ता है (कुछ स्थितियों में)।

(iv) संशोधन के लिए प्रार्थना को सामान्यतः तब तक अनुमति दी जानी आवश्यक है जब तक कि:

(i) संशोधन द्वारा, समय बाधित दावा पेश करने की माँग की जाती है, जिस स्थिति में यह तथ्य कि दावा समय बाधित होगा, विचार के लिए एक प्रासंगिक कारक बन जाता है,

(ii) संशोधन वाद की प्रकृति को बदल देता है,

(iii) संशोधन के लिए प्रार्थना दुर्भावनापूर्ण है, या

(iv) संशोधन द्वारा, दूसरा पक्ष एक वैध बचाव खो देता है।

(v) अभिवचनों में संशोधन के लिए प्रार्थना पर विचार करते समय, न्यायालय को अति-तकनीकी दृष्टिकोण से बचना चाहिए, तथा सामान्यतः उससे उदारता बरतने की अपेक्षा की जाती है, विशेषकर जहाँ विरोधी पक्ष की भरपाई जुर्मानों से की जा सकती हो।

(vi) जहाँ संशोधन से न्यायालय को विवाद पर सटीक विचार करने में सहायता मिलेगी तथा अधिक संतोषजनक निर्णय देने में सहायता मिलेगी, वहाँ संशोधन की प्रार्थना को स्वीकार किया जाएगा।

(vii) जहाँ संशोधन में समय-बाधित वाद हेतुक पेश किए बिना केवल एक अतिरिक्त या नया दृष्टिकोण पेश करने की माँग की गई है, वहाँ संशोधन को परिसीमा समाप्त होने के बाद भी अनुमति दी जा सकती है।

(viii) संशोधन की अनुमति न्यायोचित रूप से तब दी जा सकती है जब उसका आशय वादपत्र में महत्वपूर्ण विवरणों के अभाव को सुधारना हो।

(ix) संशोधन के लिए आवेदन करने में देरी अकेले प्रार्थना को अस्वीकार करने का आधार नहीं है। जहाँ देरी का पहलू बहस योग्य है, वहाँ संशोधन के लिए प्रार्थना को अनुमति दी जा सकती है और परिसीमा के मुद्दे को निर्णय के लिए अलग से विरचित किया जा सकता है।

(x) जहाँ संशोधन वाद की प्रकृति या वाद हेतुक को इस तरह से बदलता है कि एक बिल्कुल नया मामला बन जाए, जो वादपत्र में स्थापित मामले से अलग हो, वहाँ संशोधन को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए। हालाँकि, जहाँ संशोधन की माँग केवल वादपत्र में राहत के संबंध में है, और उन तथ्यों पर आधारित है जो वादपत्र में पहले से ही बताए गए हैं, वहाँ आमतौर पर संशोधन को अनुमति देने की आवश्यकता होती है।

(xi) जहाँ विचारण शुरू होने से पहले संशोधन की माँग की जाती है, वहाँ न्यायालय को अपने दृष्टिकोण में उदार होना चाहिए।

न्यायालय को इस तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए कि संशोधन में स्थापित मामले को पूरा करने के लिए विरोधी पक्ष के पास एक अवसर होगा। इस प्रकार, जहाँ संशोधन के परिणामस्वरूप विरोधी पक्ष पर अपूरणीय प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है, या विरोधी पक्ष को उस लाभ से वंचित नहीं करता है जो उसे संशोधन की माँग करने वाले पक्ष द्वारा स्वीकारोक्ति के परिणामस्वरूप प्राप्त हुआ था, वहाँ संशोधन की अनुमति दी जानी चाहिए। समान रूप से, जहाँ न्यायालय के लिए पक्षकारगण के बीच विवाद में मुख्य मुद्दों पर प्रभावी ढंग से निर्णय लेने के लिए संशोधन आवश्यक है, वहाँ संशोधन की अनुमति दी जानी चाहिए। (विजय गुप्ता बनाम गगनिंदर कुमार गांधी और अन्य, 2022 एससीसी ऑनलाइन दिल्ली 1897 देखें)"

40. यह उल्लेख किए जाने योग्य है कि वाद दायर करने के बाद प्रतिवादी सं. 4 से 13 ने सि.प्र.सं. के आदेश VII नियम 11 के अंतर्गत उनके विरुद्ध वादपत्र को अस्वीकार करने के लिए एक आवेदन दायर किया था, इस आधार पर कि उनके विरुद्ध कोई वाद हेतुक प्रकट नहीं किया गया था और कॉर्पोरेट आवरण को हटाने का कोई अभिवाक् नहीं दिया गया था। इसके अतिरिक्त, उनके विरुद्ध कोई वाद हेतुक प्रकट नहीं किया गया था। तर्क-वितर्क के दौरान वादी ने कॉर्पोरेट आवरण को हटाने की अवधारणा पेश की थी, जिसने वादी को प्रासंगिक तथ्यों को शामिल करने के लिए वर्तमान संशोधन आवेदन को दायर करने के लिए प्रेरित किया। इसलिए, मुख्य प्रश्न यह है कि क्या वाद आवेदन की अस्वीकृति के दाखिल होने के बाद दायर संशोधन आवेदन का सहारा लिया

जा सकता है, ताकि ऐसा कोई वाद हेतुक पेश किया जा सके जो वादपत्र में मौजूद नहीं है।

41. *गगनमल रामचंद बनाम हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग* एआईआर 1950 बॉम्बे 345 के मामले का संदर्भ लिया जाएगा, जिसमें बॉम्बे उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा वादपत्र में संशोधन की अनुमति दी थी ताकि वाद हेतुक को बनाने वाले तथ्यों का प्रवर्धन किया जा सके। *हरि भगवान शर्मा बनाम बद्री भगत झंडेवाला मंदिर सोसायटी* 27 (1985) डीएलटी 68 में, इस न्यायालय ने अतिरिक्त विवरण प्रस्तुत करके वाद हेतुक की अपर्याप्तता को सुधारने के लिए संशोधन की अनुमति दी थी। यह टिप्पणी की गई कि सद्भावनापूर्वक ढंग से जिन संशोधनों को करने की माँग की गई है, उन्हें संशोधन के माध्यम से अनुमति दी जा सकती है, भले ही सि.प्र.सं. के आदेश VII नियम 11 के अंतर्गत आवेदन लंबित हो।

42. इसी तरह, *वसुधीर फाउंडेशन बनाम सी. लाल एंड संस* (1991) 45 डीएलटी 556 में, बॉम्बे उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने दोहराया कि यदि आदेश VI नियम 17 के अंतर्गत आवेदन को हटा दिया जाता है, तो यह सि.प्र.सं. के आदेश VII नियम 11 के जीवन को ही बाधित कर देगा और न्याय को बढ़ावा देने के बजाय, इसे पराजित करेगा।

43. इसी प्रकार, *बीनू आनंद खन्ना बनाम रतन टाटा, ताज ग्रुप के अध्यक्ष,* 2006 III एडी दिल्ली 129 में, इस न्यायालय ने समान पृष्ठभूमि में वादपत्र में संशोधन की अनुमति दी थी।

44. उपरोक्त निर्णयों से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सि.प्र.सं. के आदेश VII नियम 11 के अंतर्गत लंबित आवेदन के बाद भी सि.प्र.सं. के आदेश VI नियम 17 के अंतर्गत संशोधन आवेदन पर विचार किया जा सकता है और उसे अनुमति दी जा सकती है यदि यह सद्भावनापूर्ण है और केवल वाद हेतुक के संबंध में तथ्यों को परिवर्धित करने का आशय रखता है। हालाँकि, संशोधन आवेदन को खारिज किया जा सकता है, अगर यह दुर्भावनापूर्ण पाया जाता है या नया वाद हेतुक पेश करने का प्रयास करता है जिसका मूल वादपत्र में कोई संकेत भी नहीं है। इन टिप्पणियों के साथ, सि.प्र.सं. के आदेश VI नियम 17 के अंतर्गत वर्तमान आवेदन पर विचार किया जा सकता है।

45. निस्संदेह, वादी ने प्रतिवादी सं. 3 कंपनी के साथ दिनांक 18.06.2007 को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए थे, जिस पर प्रतिवादी सं. 1, इसके निदेशक द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। एमओयू की शर्तों के अनुसार, वादी ने कुल 1,85,00,00,000/- रुपये का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की। एमओयू में उल्लेख किया गया था कि प्रतिवादी सं. 3 ने दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग, मानेसर, जिला गुड़गाँव, हरियाणा पर 100 हेक्टेयर भूमि पर विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईज़ेड) की स्थापना के लिए वाणिज्य मंत्रालय, भारत

सरकार को दिनांक 14.07.2006 को एक आवेदन दिया था। प्रतिवादी सं. 3 विशेष प्रयोजन वाहन - रॉकमैन प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (गुड़गाँव) (एसपीवी) के माध्यम से एसईज़ेड विकसित करने का प्रस्ताव कर रहा था, जिसे इस उद्देश्य के लिए शामिल किया जाना था और एसपीवी में 74% शेयर वादी को बेचने का इच्छुक था, जिसे वह स्वयं या किसी अन्य संस्था, व्यक्ति या निवेशक के माध्यम से अर्जित करने के लिए सहमत हुआ था। तदनुसार, वादी एसपीवी में 74% शेयरों के अधिग्रहण के लिए कुल 185,00,00,000/- रुपये का भुगतान करने के लिए सहमत हो गया। इस राशि के भुगतान के तरीके और एसपीवी के गठन तथा एसपीवी को भूमि के विक्रय के लिए किसी भी पक्ष द्वारा उठाए जाने वाले कदमों के बारे में विभिन्न शर्तें तैयार की गई थीं। प्रतिवादी सं. 3 कंपनी (प्रतिवादी सं. 2 के माध्यम से) को एमओयू के खंड 9 के अनुसार एसपीवी को भूमि का विक्रय सुनिश्चित करना था। एमओयू का खंड 12 सबसे अधिक प्रासंगिक है जो निम्नानुसार है :

> *"12. दोनों पक्षकारगण इस बात पर सहमत हैं कि यदि अप्रत्याशित परिस्थितियों और सरकारी नीतियों में परिवर्तन के कारण 31 दिसंबर, 2008 को या उससे पहले एसईज़ेड अधिसूचना नहीं होती है,* ***तो कोहली को या तो भुगतान की गई राशि वापस पाने या 31 दिसंबर 2008 को या उससे पहले शेष राशि का भुगतान करने की स्वतंत्रता होगी, जिसका उल्लेख ऊपर दिए गए विक्रय मामले के लिए किया गया है। हालाँकि, यदि उक्त लेन-देन निर्धारित अवधि अर्थात् 31 दिसंबर 2008 में नहीं***

होता है, तो समझौता ज्ञापन रद्द/समाप्त हो जाएगा। *इसके अतिरिक्त, रॉकमैन प्रोजेक्ट्स इस बात पर सहमत हैं कि यदि वे वर्तमान एसईज़ेड सहित हरियाणा में अन्य एसईज़ेड परियोजनाएँ शुरू करने का निर्णय लेते हैं, तो कंपनी पहले उनका प्रस्ताव कोहली को करेगी।"*

46. कथित रूप से वादी ने प्रतिवादी सं. 3 को अग्रिम भुगतान के रूप में 43 करोड़ रुपये का भुगतान किया था, जिसे प्रतिवादी सं. 3 ने प्राप्त किया था। हालाँकि, वादी ने दावा किया है कि यह जानकर उसे आश्चर्य हुआ कि एमओयू पर हस्ताक्षर होने तक प्रतिवादी संख्या 1 ने उनसे महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई थी और उसे इस भ्रम में रखा था कि प्रतिवादी सं. 3 के पास पहले से ही निकटवर्ती 250 एकड़ भूमि है, जिस पर एसईज़ेड स्थापित किया जाना था। वादी ने दावा किया कि चूँकि प्रतिवादी सं. 1 और प्रतिवादी सं. 3 द्वारा उसके साथ धोखाधड़ी की गई थी, इसलिए वादी ने एमओयू के खंड 12 के अनुसार जनवरी, 2009 में अग्रिम भुगतान की वापसी की माँग की, लेकिन प्रतिवादी सं. 3 चालाक था और लगातार प्रतिवादी सं. 1 के माध्यम से वादी को आश्वासन देता रहा कि धन जल्द से जल्द वापस कर दिया जाएगा। इस प्रकार, वादी को पता चला कि प्रतिवादी सं. 1 और सहयोगियों और निदेशकों तथा प्रतिवादी सं. 3 कंपनी के बहुमत धारक के बीच मुकदमा शुरू हो गया है। उसे यह भी पता चला कि धन को सहायक कंपनियों में भेज दिया गया है; इस प्रकार, वादी ने आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) में शिकायतें की और प्रतिवादी सं. 2 के बयान समय-समय पर दर्ज किए गए। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि वादी

को प्रस्तुतिकरण पर दिए गए चेक को भी अनादृत किया गया था, तथा 03.12.2009 को अंतिम बार अनादृत हो गए थे। इसलिए, वादी द्वारा 42.7 करोड़ रुपये और अन्य राशियों की वसूली के लिए वाद दायर किया गया था।

47. वादपत्र में दिए गए प्रकथनों से यह संक्षिप्त और स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि दोनों पक्षकारगण ने दिनांक 18.06.2007 को एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए थे और प्रारंभ में वादी द्वारा 43 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था, लेकिन अंततः एसईज़ेड फलीभूत नहीं हुआ और इसलिए वादी ने एमओयू के खंड 12 के अनुसार, उसके द्वारा भुगतान किए गए 42.7 करोड़ रुपये की वसूली की माँग की।

48. वादी ने अपने वादपत्र में प्रतिवादी सं. 1 और 2 के विभिन्न कृत्यों का आरोप लगाया था, जिसमें दावा किया गया था कि वादी द्वारा दिया गया सारा धन प्रतिवादी सं. 2 द्वारा उसकी सहायक कंपनियों को गबन कर दिया गया, जो प्रतिवादी सं. 4 से 11 हैं, जबकि प्रतिवादी सं. 12 और 13 प्रतिवादी सं. 2 के सहयोगी हैं। वादपत्र में यह भी विवरण दिया गया है कि एमओयू में प्रवेश करते समय प्रतिवादी सं. 1 और 2 ने किस तरह से यह दर्शाया था कि उनके पास 250 एकड़ भूमि है जो उनकी सहायक कंपनियों के पास है जिसमें प्रतिवादी सं, 1 और 2 की बड़ी हिस्सेदारी है। एसईज़ेड की स्थापना के लिए प्रतिवादी सं. 3 के पक्ष में वाणिज्य मंत्रालय से सैद्धांतिक अनुमोदन के साथ संपत्ति के स्वामित्व के दस्तावेज़ भी दिखाए गए थे।

49. वर्तमान आवेदन के माध्यम से वादी ने यह स्पष्ट करने के लिए **पैराग्राफ 3-क** पेश करने की माँग की है कि कैसे प्रतिवादी सं. 2 श्री डी.के. जैन और उ.का परिवार प्रतिवादी सं. 4 से 11 के निदेशक और बहुसंख्यक शेयरधारक हैं और प्रतिवादी सं. 2 की पारिवारिक कंपनियाँ हैं। इस प्रकार, यह शामिल करने की माँग की गई है कि इन प्रतिवादीगण के पास समान निदेशक, समान शेयरधारिता पैटर्न और पारिवारिक स्वामित्व का सामान्य सूत्र है जो सभी प्रतिवादी कंपनियों अर्थात् प्रतिवादी 4 से 11 के माध्यम से चलता है। यह आगे इस पैराग्राफ में प्रतिवादी सं. 2 द्वारा आपराधिक शिकायत में इन कंपनियों में निदेशक होने की बात स्वीकार करते हुए दिए गए बयानों को शामिल करने का आशय रखता है। प्रतिवादी सं. 2 के विरुद्ध एक और विबंध के अभिवाक् अधिरोपित करने की माँग की गई है कि वह इस मामले में लिए गए अपने स्वयं के मत से पीछे नहीं हट सकता है।

50. इसलिए, ***पैराग्राफ 3-क*** केवल उसी बात का विस्तार है जिसका दावा उसने वादपत्र के पैराग्राफ 3 में किया था; पिछले पैराग्राफ में निहित तथ्यों का केवल एक और विशदीकरण होने के कारण, यह किसी भी तरह से वाद हेतुक को नहीं बदलता है और ***इसलिए, इसकी अनुमति दी जाती है।***

51. वादी आगे **पैराग्राफ 18-क** जोड़ना चाहता है ताकि प्रतिवादी सं. 2 द्वारा एसईज़ेड के विकास में उठाए गए सकारात्मक और प्रत्यक्ष कदमों को स्पष्ट किया जा सके जैसा कि पक्षकारगण के बीच निष्पादित एमओयू के अंतर्गत

किया जाना था। यह पैराग्राफ यह भी दोहराता है कि प्रतिवादी सं. 1 के पक्ष में प्रतिवादी सं. 3 द्वारा उसके पक्ष में निष्पादित बोर्ड संकल्प के आधार पर, प्रतिवादी सं. 1 ने वादी के साथ एक अनुबंध किया। ***यह प्रस्तावित संशोधन भी प्रतिवादीगण द्वारा एमओयू के अंतर्गत किए गए कार्यों का स्पष्टीकरण मात्र है। यह भी केवल वादपत्र में पहले से ही शामिल तथ्यों का विशदीकरण मात्र है और इसलिए, इसकी अनुमति दी जाती है।***

52. तीसरा संशोधन **पैराग्राफ 20क** को शामिल करके किया जाना है, जिसमें वादी यह प्राख्यान करना चाहता है कि प्रतिवादी सं. 2 द्वारा कंपनियों 4 से 11 को विभिन्न भुगतान किए जा रहे हैं। आगे यह प्राख्यान किया गया है कि यह कॉर्पोरेट आवरण हटाने के लिए उपयुक्त मामला है और एक बार इसे हटा दिए जाने पर प्रतिवादी सं. 2, उसके निकटतम परिवार के सदस्यों का चेहरा पर्दे के पीछे के असली व्यक्ति के रूप में सामने आ जाएगा। प्रतिवादी सं. 2 लेन-देन के बारे में अनभिज्ञता का बहाना नहीं बना सकता है; इसके अतिरिक्त, प्रतिवादी सं. 2 ने प्रतिवादी सं. 3 और उसकी अन्य सहयोगी कंपनियों से अपनी अन्य कंपनियों को अग्रिम राशि दिलवाई थी। इसलिए, प्रतिवादी सं. 4 से 11 के संबंध में कॉर्पोरेट आवरण हटाया जाना आवश्यक है और उचित जाँच की आवश्यकता है *क्योंकि धन का बड़ा हिस्सा उन्हीं के द्वारा उपभोग किया गया है।*

53. इसी प्रकार, **पैराग्राफ 20-ख** के माध्यम से सम्मिलित किए जाने वाले तथ्य भी समान प्रभाव वाले हैं, जिसमें यह अभिवाक् दिया गया है कि प्रतिवादी सं. 4 से 13 को पलटने और संविदात्मक संबंध न होने का दावा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, क्योंकि उन्होंने वादी कंपनी द्वारा अग्रिम रूप से दी गई बड़ी धनराशि का उपभोग किया है और *फिर प्रतिवादी सं. 2 की जमानत की शर्त के रूप में उसे वापस कर दिया है।*

54. **पैराग्राफ़ 20-ग** में यह शामिल करने का आशय है कि प्रतिवादी सं. 2 ने इस तरह से लेनदेन की योजना बनाई थी कि धन प्रतिवादी सं. 3 के पास आना था और वहाँ से प्रतिवादी सं. 2 की विभिन्न कंपनियों को अंतरित किया जाना था, जिससे प्रतिवादी सं. 4 से 13 वर्तमान वाद में आवश्यक पक्षकार बन गए।

55. वादी यह भी बयान देना चाहता है कि 04.05.2006, 30.11.2006 के पट्टे के अनुबंध और 05.02.2007 के विक्रय अनुबंध जैसे कई दस्तावेज़ सभी पक्षकारगण की सक्रिय भागीदारी से बनाए गए थे, जिसका उद्देश्य वादी जैसे खरीदारों को फँसाकर उनसे अग्रिम राशि का भुगतान कराना था। धोखाधड़ी लेन-देन के तौर पर साफ़ दिखाई देती है और कागज़ी कार्रवाई सभी प्रतिवादीगण की सक्रिय मौनानुकूलता के बिना संभव नहीं थी। *यह दावा किया जाता है कि विभिन्न दस्तावेज़ एक अटूट शृंखला स्थापित करते हैं, जिससे सभी प्रतिवादीगण वादी कंपनी को धन वापस करने के लिए उत्तरदायी होते हैं।*

56. अनिवार्य रूप से, **पैराग्राफ़ 20-क, 20-ख और 20-ग** के माध्यम से, वादी यह दिखाने का मामला स्थापित कर रहा है कि यद्यपि प्रतिवादी सं. 1 द्वारा प्रतिवादी सं. 3 की ओर से एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए थे, लेकिन प्रतिवादी सं. 2 और 3 ने प्रतिवादी सं. 4 से 13 के साथ मौनानुकूल रूप से दस्तावेज़ तैयार किए और वादी को एमओयू में प्रवेश करने और अग्रिम राशि देने के लिए लालच दिया, जिसे प्रतिवादी सं. 2 की सहायक कंपनियों को अंतरित कर दिया गया, किंतु ज़मानत की शर्त के रूप में प्रतिवादी सं. 2 को वापस कर दिया गया। वादी *कॉर्पोरेट आवरण को हटाने* की अवधारणा को पेश करना चाहता है और वादी और सभी प्रतिवादीगण के बीच संविदात्मक संबंध है।

57. सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी पक्षकार द्वारा इस बात को चुनौती नहीं दी गई है या इसका खंडन नहीं किया गया है कि वादी और प्रतिवादी सं. 3 के बीच प्रतिवादी सं. 1 के माध्यम से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे और प्रतिवादी सं. 2, प्रतिवादी सं. 3 का अन्य निदेशक है। मूलतः, पैराग्राफ़ 20-क से 20-ग के माध्यम से प्रस्तावित संशोधनों से जो बात उभर कर आ रही है, वह यह है कि वादी को यह आशंका है कि यदि प्रतिवादी सं. 3 के दायित्व का निर्णय भी हो जाता है, तब भी वादी धन की वसूली नहीं कर पाएगा। इसलिए, यह दावा करने का प्रयास किया जा रहा है कि प्रतिवादी सं. 3 द्वारा प्राप्त धन को प्रतिवादी सं. 4 से 11 के खातों में भेजे और अंतरित कर दिया गया है और फिर प्रतिवादी सं. 2 के पास वापस

लाया गया है। वादी यह भी दावा करना चाहता है कि कॉर्पोरेट आवरण हटाने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि प्रतिवादी सं. 4 से 11 कोई और नहीं बल्कि प्रतिवादी सं. 2 ही हैं और भले ही एमओयू पर प्रतिवादी सं. 3 ने हस्ताक्षर किए हों, लेकिन अन्य प्रतिवादी सं. 4 से 11 संविदात्मक संबंध की कमी का तर्क देकर भुगतान करने के अपने दायित्व से बच नहीं सकते। ये नए तथ्य हैं जिन्हें केवल इसलिए शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है क्योंकि ज़ाहिर तौर पर वादी को आशंका है कि अगर वह वाद में सफल भी हो जाता है, तो उसे प्रतिवादी सं. 3 से पैसे वसूलने में कठिनाई हो सकती है।

58. दूसरा, प्रतिवादी सं. 3 द्वारा धन का उपयोग या अन्य कंपनियों को अंतरण कैसे किया गया, इस मामले के न्यायनिर्णयन के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता है, जो कि 43 करोड़ रुपये की सरल वसूली के लिए है, जिसे वादी ने प्रतिवादी सं. 3 को एक समझौता ज्ञापन के अंतर्गत भुगतान किया था, जो सफल नहीं हुआ। पैराग्राफ़ 20-क, 20-ख और 20-ग द्वारा शामिल किए जाने वाले तथ्य न केवल विवाद के निर्धारण के प्रयोजन से अप्रासंगिक हैं, बल्कि वसूली के मूल मुद्दे को निर्धारित करने के लिए भी आवश्यक नहीं हैं। ***इसलिए, पैराग्राफ़ 20-क, 20-ख और 20-ग को शामिल करके माँगे गए संशोधन को वाद के निर्धारण के उद्देश्य से आवश्यक अभिनिर्धारित नहीं किया जाता है।***

59. यह भी उल्लेख करने योग्य है कि यह एक सरल मामला है, जिसमें वादी ने 43 करोड़ रुपये की वसूली की माँग की है, जिसे उसने 18.06.2007 के एक एमओयू के अंतर्गत प्रतिवादी को भुगतान किया था, जो सफल नहीं हुआ, इसलिए वादी ने एमओयू के खंड 12 के अनुसार वसूली की माँग की है। इसके अतिरिक्त, प्रतिवादी संख्या 4 से 11 सहायक कंपनियाँ हो सकती हैं या प्रतिवादी सं. 2 और उसके परिवार के सदस्य निदेशक हो सकते हैं, लेकिन तथ्य यह है कि प्रतिवादी सं. 4 से 11 स्वतंत्र और अलग-अलग संस्थाएँ हैं। वे अलग-अलग न्यायिक व्यक्ति हैं और केवल इसलिए कि निदेशक एक ही पाए गए हैं, उनकी स्वतंत्र न्यायिक स्थिति को नहीं छीना जाएगा और उन्हें संविदा का पक्षकार नहीं बनाया जाएगा, जिस पर वादी और प्रतिवादी सं. 3 के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। कॉर्पोरेट आवरण हटाकर इन सहायक कंपनियों तक जाने वाले धन का पता लगाना निष्पादन के समय प्रासंगिक हो सकता है, लेकिन वादी और प्रतिवादी सं. 3 के बीच किए गए एमओयू के अनुसार वसूली की माँग करने के प्रयोजन से यह आवश्यक नहीं है।

60. उपरोक्त चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, वादी को संशोधन के माध्यम से पैराग्राफ़ 3-क और 18-क को सम्मिलित करने की अनुमति दी जाती है, जबकि पैराग्राफ़ 20-क, 20-ख और 20-ग को सम्मिलित करने को अस्वीकार किया जाता है।

61. दूसरा संशोधन सत्यापन खंड में सुधार करने के लिए किया गया है, जो परिणामी है और जिसके लिए अनुमति दी गई है।

62. *सि.प्र.सं. के आदेश VI नियम 17 के* अंतर्गत आवेदन *आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है और तदनुसार निपटान किया जाता है।*

63. तदनुसार, दायर प्रस्तावित संशोधित वादपत्र को अभिलेख पर लिया जा सकता है।

<u>सि.वा. (मू.प.) 76/2010</u>

64. विद्वान संयुक्त निबंधक के समक्ष अभिवचन पूरा करने के लिए 30.04.2024 पर सूचीबद्ध किया जाता है।

(नीना बंसल कृष्णा)
न्यायाधीश

18 मार्च, 2024
आरएस/वीए

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*